

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स संजय कुमार, प्रस्तावक, श्री संजय कुमार, पिता-श्री रामाश्रय सिंह, पता-न्यू कोर्ट एरिया, नया बाजार, जिला-लखीसराय के द्वारा किउल नदी ब्लॉक-03 बालू घाट, मौजा-बड़ीबाग, जलजोगा, फतेहपुर, प्रखंड-खैरा, जिला-जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 16.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखंड सभागार, खैरा, जिला-जमुई के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं०- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर० (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/2356/2023, दिनांक 21.04.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा- "दैनिक जागरण" एवं "दैनिक भास्कर", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक 13.07.2023 को प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान एस० एन० झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी ब्लॉक-03 बालू घाट, मौजा-बड़ीबाग, जलजोगा, फतेहपुर, प्रखंड-खैरा, जिला-जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री संजय कुमार को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक-03 में 34.9 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 431364 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹618.73 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या-03 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए हैं।

HC

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध-मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर-लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

DL

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-


क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री मोहन सिंह, बड़ीबाग, जमुई के द्वारा पुछा गया कि कच्चे रास्ते पर बालू लदे गाड़ियों के परिवहन से धूलकण उड़ने से रोकने के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी।	गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों पर दिन में 2 बार जल का छिड़काव किया जायेगा। गाड़ियों को तारपोलिन शीट से ढककर ले जाया जायेगा तथा ओवरलोडिंग नहीं किया जायेगा। सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जायेगा।
2.	श्री मनोरंजन कुमार, बड़ीबाग, जमुई के द्वारा रोजगार के अवसर एवं ग्रामीण सड़कों पर गाड़ियों के आवागमन से धूलकण उड़ने से रोकने के लिए किये जाने वाले व्यवस्था के बारे में पुछा गया।	गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों पर दिन में 2 बार जल का छिड़काव किया जायेगा। गाड़ियों को तारपोलिन शीट से ढककर ले जाया जायेगा तथा ओवरलोडिंग नहीं किया जायेगा। सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में 29 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जिसमें स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दिया जायेगा।
3.	श्री राजेश कुमार, जलजोगा, जमुई के द्वारा धूलकण के कारण फसलों के नुकसान के बचाव के बारे में पुछा गया।	बालू के परिवहन में उपयोग होने वाले गाड़ियों के लिए संवेदक द्वारा सड़क का निर्माण कराया जायेगा। गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों पर दिन में 2 बार जल का छिड़काव किया जायेगा। गाड़ियों को तारपोलिन शीट से ढककर ले जाया जायेगा तथा ओवरलोडिंग नहीं किया जायेगा। सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जायेगा।
4.	श्री मुकुल कुमार, बड़ीबाग के द्वारा रोजगार के अवसर के बारे में प्रश्न पुछा गया।	प्रस्तावित परियोजना में 29 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जिसमें स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी। आवश्यकतानुसार ऑपरेटर, सुपरवाइजर, अकुशल श्रमिक इत्यादि के लिए स्थानीय लोगों को लिया जायेगा।
5.	श्री शिवम कुमार, बड़ीबाग, जमुई के द्वारा भी रोजगार के अवसर के संबंध में ही जानकारी मांगी गई।	प्रस्तावित परियोजना में 29 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जिसमें स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी। आवश्यकतानुसार ऑपरेटर, सुपरवाइजर, अकुशल श्रमिक इत्यादि के लिए स्थानीय लोगों को लिया जायेगा।


HL



लोक-सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता-सह-सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू का संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसका नियमानुसार उपयोग करने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


17-8-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०प०र्षद,
भागलपुर।


अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स संजय कुमार, श्री संजय कुमार, पिता-श्री रामाश्रय सिंह, पता-न्यू कोर्ट एरिया, नया बाजार, जिला-लखीसराय द्वारा किउल नदी ब्लॉक-03 बालू घाट, मौजा-बरीबाग, जलजोगा, फतेहपुर, ब्लॉक-खैरा, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 16.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे लोक सुनवाई का स्थल: प्रखंड सभागार खैरा, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ramesh Kumar	Adm (P&R) cum S.P.O. Jammu	16/8/23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional officer Bhagalpur B-5-17, C.B.	Shambhu 16-8-23
3.	श्रीमान सिंह	अधीनस्थ अधिकारी	16/8/2023
4.	श्रीमान सिंह	Mines Inspector	16/8/2023
5.	Ashish Prakash	Mines Inspector	16/08/23
6.	Rajesh Kumar Vishwas	Environment Consultant P & M Solution Moide.	Rajesh
7.	संजय कुमार	न्यू कोर्ट एरिया लखीसराय	संजय कुमार
8.	श्रीमान सिंह	बरीबाग खैरा	संजय सिंह
9.	श्रीमान कुमार	फतेहपुर खैरा	Dharmendra
10.	श्रीमान कुमार	बरीबाग खैरा	Shambhu
11.	Ramesh Kumar Jadau	Baribag Khair	(Rk) Jadau

12.	अजीत कुमार	वडीवाडा	अजीत
13.	राजेश कुमार	वडीवाडा	Rajesh Kumar
14.	शिवम कुमार	वडीवाडा	Shivam Kumar
15.	सदानंद कुमारे	वडीवाडा	Sadanand
16.	अभिमान्यु कुमार	वडीवाडा	Abhinanyu K.
17.	Narajan Kumar	वडीवाडा	Narajan Kumar
18.	समरम सिंह	वडीवाडा	Samram Singh
19.	सोमू सिंह	सुजासिंहा वडीवाडा	Somoo Singh
20.	सचिन सिंह	वडीवाडा	Sachin Singh
21.	Roshni Pandit	Kurina	Roshni Kumar
22.	सुशी कुमारे	वडीवाडा	Sushni Kumar
23.	Rehem Singh	वडीवाडा	Rehem Singh
24.	Ramshankar Kumar	वडीवाडा	Ramshankar Kumar
25.	सोहन सिंह	वडीवाडा	Sohan Singh
26.	कुमार राज	वडीवाडा	Kumar Raj

27.	Nayoon Kumar	Barkij	Alaven 12
28.	Arman Kumar	Baridak	Arman
29.	Sonu Kumar	Baribach	SKm
30.	मुकेश कुमार	बरेवा	मुकेश
31.	मुकुम कुमाल	बरीवाण	मुकुम कुमाल
32.	अमन - कुमाल	बरीवाण	अमन - कुमाल
33.	Cupalkumar	Baribag.	Cupalkumar
34.	हरी राम सिंह	पतौड़पुर	हरी राम सिंह
35.	नरेश कुमार	बरीवाण	नरेश कुमार
36.	Makeesh Kumar	बरीवाण	Makeesh Kumar
37.	मिशन कुमाल	बरीवाण	मिशन कुमाल
38.	Sanjiv Singh	Baribag.	Sanjiv Singh
39.	राजीव सिंह	बरीवाण	राजीव सिंह
40.	Md Shamim	BSPCB Patna	Shamim
41.	Aanish Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	Aanish 16/08/2022.

42.	अनमोल शर्मा	वडोदा	अनमोल शर्मा
43.	मिथिलेश कुमार	वडोदा	Mithalash Kumar
44.	सत्यम कुमार	चन्द्रपुरा	Satnam Kumar
45.	दीपक कुमार	चन्द्रपुरा	दीपक कुमार
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			